Alps Industries Ltd.

REGD./CORP. OFFICE

57/2, Site-IV, Industrial Area Sahibabad, Ghaziabad - 201010 Uttar Pradesh (India)

ALPS/105/SE11/2021-22

August 14 2021

The General Manager

Market Operations Deptt.,

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai - 400 051 Ph - 91-22-2659 8101 - 8114

Fax: 022 - 26598237/38/ 2659 8100

Email - cmlist@nse.co.in

Ms. Erika D'Sa, (Relationship Manager)

Corporate Relationship Deptt.,

Bombay Stock Exchange Limited,

1ST Floor New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001.

Ph - 022-22728995

Fax: 022 - 22723121 /

3719/2037/2039/2041/2061

Email - intern.erika@bseindia.com,

corp.relations@bseindia.com

SUB: SUBMISSION OF NEWSPAPER PUBLICATION FOR PRIOR NOTICE IN TERMS OF SEBI AND MCA CIRCULARS RELATED WITH CONDUCTING AGM THROUGH VC/OAVM.

Dear Sir,

This has reference to the SEBI and Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars applicable for conducting Annual General Meeting on September 30 2021 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) w.r.t. publication of prior Notice. We are enclosing herewith the said published notice in the newspapers of Hindi and English language. The electronic newspapers are available on website i.e. https://www.opensearch.co.in/

This is for your kind information and record please

GHAZIABA

Thanking you,

Yours faithfully,

For Alps Industries Limited

(Ajáy Gupta) Company Secretary

& General Manager – Legal

Tel.:+91-120-4161700 (60 Lines) Telefax.: +91-120-2896041

E-mal: info@alpsindustries.com Website: www.alpsindustries.com

CIN: L51109UP1972PLC003544

Delhi's healthcare system to go world class

people will get eHealth Cards with Kejriwal Government's Health Information Management System

OPEN SEARCH

NEW DELHI: Committed towards bringing a transformation in the healthcare system of the state, the Delhi Government is set to implement the world class Information Management System soon.

As per Chief Minister Shri Arvind Kejriwal the Information Health Management System will be a monumental step towards getting the people of Delhi freedom from their problems. The project will bring about a revolution in the healthcare infrastructure of Delhi and make health management seamless; levelling it with the standards of developed countries.

The world class Health Information Management System is all set to be implemented by next year; the department has completed the vendor selection and bidding process and is working on war footing to streamline the project and place it in front of the cabi-

As part of the project, Health Cards will be assigned to each citizen, which will be a repository of medical information. Doctors will be able to see patient's medical history using the card and the patients will be able to take appointments from home.

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal reviewed the progress of the project with Health Minister Shri Satyendar Jain and instructed the officers to expedite the timelines to provide the people of Delhi freedom from their woes in this field. The Chief Minister stated that Delhi Government is committed towards providing the best and most modern healthcare facilities to the people of Delhi and the



-Kejriwal Government all set to launch a cloud-based Health Information Management System of international standards next vear

-HIMS will be a one of a kind, unique system in the entire country; eHealth Cards containing all medical information on the cloud will be issued

-Vendor selection and bidding process for the HIMS project complete; rapid preparations taking place to present it in front of the cabinet

-Delhi Government is committed towards providing the best and most modern healthcare facilities to the people of Delhi

-Timelines for the HIMS project must be expedited to ensure that people can access the best of the medical facilities and get freedom from their woes: CM Arvind Kejriwal

-Health Information Management System a monumental step towards getting the people of Delhi freedom from their problems: CM Arvind Kejriwal

-After the implementation of HIMS, Delhi will be the first state in the country to have a cloud based health management system

Health Information Management System will be a monumental step towards getting the people of Delhi freedom from their problems. After the implementation, Delhi will be the first state to have such a world class system in place.

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal convened a meeting to review the progress of the Health Information Management System project. Health Minister Shri Satyendar Jain along with senior officials from the Health Department, were present in the meeting.

During the meeting, the Chief Minister intricately reviewed the progress of the Health Information Management System along with the Health Helpline and the eHealth Card which are two crucial landmarks the project aims to The Health achieve. Department officers presented a detailed project report in front of the Chief Minister. They apprised

him of the fact that significant progress has been made in the project and vendor selection and bidding processes have been completed; Technical Evaluation, Approval of Technical Evaluation including clarification has also been completed. The project will be placed in front of the cabinet soon. The officers informed the Chief Minister and the Health Minister that the preparations for the first phase of the project will be completed by the end of this year and the implementation can be done in the beginning of the next

Department officials further stated that a lot of progress has been made in the Health Helpline project as well and the vendor selection will be completed soon. Call centres will be set up for the convenience of the people where grievances will be addressed. The set up of these centres is targeted to be completed in the next 3 months. They also said that the RFP Committee of the Health eCard project has outlined and reviewed the RFP.

Chief Minister Shri Arvind Kejriwal expressed his satisfaction towards the progress of the HIMS project and said, "Delhi Government is committed towards providing the best and most modern healthcare facilities to the people of Delhi. We want that the people of Delhi can access the most modern and world class health facilities facing no problems. HIMS is a monumental step in this direction so we must be extremely serious towards its implementation and expedite the timelines." The CM further encouraged the officers who are working 24x7 to bring the project to

After the implementa-tion of the Health Information Management System, people will get freedom from the long queues of hospitals. They will be able to get an appointment with the doctor they wish to see by accessing an online portal from the comfort of their homes. They will be designated a time frame to meet the doctor and will be able to get consultation as per

ALPS INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corporate Office & Share Deptt.: 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, Uttar Pradesh CIN: L51109UP1972PLC003544 Website: www.alpsindustries.com E Mail ID: ajaygupta@alpsindustries.com Phone: 0120-4161700, 4161716

NOTICE REGARDING HOLDING THE 49TH ANNUAL GENERAL MEETING **THROUGH VC/OAVM AND E VOTING**

Notice is hereby given that the Forty Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Alps Industries Limited (CIN:L51109UP1972PLC003544) will be held on Thursday, September 30, 2021 at 3:00 P.M. through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the physical presence of members, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting at the Registered Office of the company situated at 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad - 201010 (U.P.), pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 18/2020 dated 21.4.2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated 15.6.2020 and further Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and Rule 20(4)(v) of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 due to massive outbreak of the COVID-19 pandemic to maintain the socia

The Notice together with Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent in electronic mode to al the members of the company whose e-mail addresses are registered with the company or the Depository Participant(s) only and no physical copies will be sent in terms of exemption extended by above circulars. Hence members must up date their E mail IDs with their DP/ R & T M/s Alankit Assignments Ltd. on or before 18.8.2021 to enable the company to send the e mail to the maximum members of the company as per the

Further SEBI vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020 and further circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 has been exempted the listed entities to send the physical copy of the Annual Report due to COVID-19 pandemic. In view of the same and with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM and Annual Report of the company will be uploaded on the website of the Company at www.alpsindustreis. com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday, September 15, 2021 to Thursday, September 16, 2021 (Both days inclusive).

Manner of registering updating email addresses for obtaining Notice of AGM, Annual Report 2020-21 and/or log in credentials for joining the AGM through VC/OAVM including e voting:

Physical Holding: Member may send an email to the company at ajaygupta@alpsindustries.com and nvestorsgrievance@alpsindustries.com and with R&T Agent i.e. M/s. Alankit Assignments Ltd. at rta@ lankit.com with the following details:

Scanned copy of duly signed request letter mentioning your name, address, Folio No., Number of shares held by the Members. Share certificate number. Email address and mobile number alongwith scanned copy of self attested Aadhar Card and PAN Card

Demat Holding: Members holding shares in demat mode are requested to register/update with their relevant depository participant

The detailed process for same is available in the Notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Thursday, September 23, 2021 being the cut-off date may cast their vote electronically. As required under clause (v) of Sub Rule 4 of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the required information are as under:

S. No.	Particulars	Comments
1.	Statement that the business may be transacted through voting by electronic means.	The Ordinary and Special business as stated in Notice of 49 AGM for Resolutions No. 1 to 4 will be transacted through voting be electronic means as per the instruction provided in the Notice duto holding of AGM through VC/OAVM option.
2.	The date and time of commencement of remote e-voting.	The remote e-voting will commence on Monday , September 2 2021 at 10:00 A.M.
3.	The date and time of end of remote e-voting.	The remote e-voting will end on Wednesday , September 29, 202 at 5:00 P.M.
4.	Cut-off date.	The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting and to vote by electronic means at the AGM holding through VOOAVM is Thursday, September 23, 2021.
5.	Dispatch of notice of AGM	Dispatch of notice will be completed by Friday 27.08.2021
6.	The manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the issuing the notice may obtain the login ID and Password.	The persons who have acquired shares and become members the company after the dispatch of notice and holding the shares of the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021 may folic the instruction mentioned in the Notice available on the websit who are holding the PAN nos. and in other cases they may obtathe login Password by sending a request to helpdesk.evoting cdslindia.com or ajaygupta@alpsindustries.com or rta@alank com. However, if a person already registered with CDSL for e-voing then existing User ID and password can be used for castin vote.
7.	Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;	The remote e-voting module shall be disabled by CSDL after the Wednesday, September 29, 2021 at 5:00 P.M and the remote-voting shall not be allowed beyond the period.
8.	The manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting through VC/OAVM.	The manner for voting at AGM through VC/OAVM has been prescribed into the Annexure I in the Notice of AGM.
9.	A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.	The members who have cast their vote by remote e-voting prior the AGM may also attend the AGM but will not be entitled to catheir vote again.
10.	A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.	A member whose name is recorded in the register of members or the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021, only sh be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting the Annual General Meeting.
11.	Website address of the com- pany, if any, and of the agency where notice of the meeting is displayed.	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com
12.	Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.	Mr. Ajay Gupta, Company Secretary & Compliance Officer. Add: Regd. & Corp. Off 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibaba Ghaziabad, U.P. – 201010 Email Id: ajaygupta@alpsindustries.com Ph. 0120-4161716

and Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 18/2020 dated 21.4.2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated 15.6.2020 and further Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and Rule 20(4)(v) of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 due to massive outbreak of the COVID-19 pandemic to maintain the social distancing, the Company has to provide remote e-voting or e-voting at the time of Annual General Meeting holding through VC/OAVM to members to cast their votes on the resolutions set in the Notice of convening 49th AGM. The Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Ltd. to facilitate the Members to exercise their right to vote by electronic means at the AGM or E voting prior to AGM and for the AGM through VC/OAVM with M/s. Alankit Assignments Ltd. The facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Rajiv Khosla, a Practicing Company Secretary (PCS No. 3927), as scrutinizer for conducting Remote E-voting and E-voting at AGM through VC/OAVM process in a fair and transparent manner

The manner for voting at AGM through VC/OAVM and remote e-voting has been prescribed into the Annexure I and II in the Notice of AGM. The members of the company having shares in physical mode may follow the instructions for casting vote at the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. In case of difficulties Members may also contact the undersigned or the Alankit Assignments Ltd. being the RTA situated at Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055 or at the email id rta@alankit.com by e-mail/post.

By order of the Board For Alps Industries Ltd. (Ajay Gupta)

Company Secretary & General Manager-Legal

Place: Ghaziabad Date: August 13, 2021



दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में केंद्र सरकार करे सहयोग, जांच कमिटी को दे मंजूरी : सिसोदिया

बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा बताना मुश्किल : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को झुटलाना पीड़ितों के साथ होगा क्रूर मज़ाक-मनीष सिसोदिया

धमेन्द्र सिंह लोधी.ओपन सर्च

नर्ड दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं हुई, बिना कोई जांच करवाए इसकी पृष्टि करने मुश्किल होगा। इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा और अपील करते हुए कहा कि दिल्ली



सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुए मौतों की जांच करना चाहती है इसके लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी भी बनाई थी जिसे एलजी द्वारा खारिज कर दिया गया।

यदि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकडे सामने आए तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमिटी को मंजूरी दी जाए। उपमुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी

जानकारी साझा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई ये मानना गलत होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकडा बताना मुश्किल

हमें ये मानना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। दिल्ली में कोरोना से अबतक लगभग 25 हजार लोगों की मौतें हुई है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई इसकी जानकारी नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार बेहद गैर-जिम्मेदार और असंवेदनशील खैया अपनाते हुए ये मानने से मना कर दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्यों से आंकडे मांग रही है।

वही दूसरी ओर जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने के लिए हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी बनाई जो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करती और पीडित परिवार को 5 लाख रुपयों का मआवजा देने का काम करती तो केंद्र सरकार ने एलजी के हस्तक्षेप द्वारा उस कमिटी को खारिज करवा दिया। ये बेहद

दुर्भाग्यपूर्ण था। दिल्ली से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करवाने के लिए तैयार है। और पूरी जिम्मेदारी से ये जांच करवाएगी। इसलिए उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार एलजी द्वारा जांच कमिटी को खारिज न करे बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में दिल्ली

चांदनी चौक की सफाई निजी कंपनी के हवाले

नई दिल्ली (एजेंसी) चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था निजी कंपनी के हवाले हो गई है। निजी कंपनी की ओर से चांदनी चौक के मुख्य मार्ग को साफ-सुथरा रखने के लिए 40 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पहले मुख्य मार्ग के साथ ही कूचों, कटरों व अन्य सड़कों की सफाई व्यवस्था उत्तरी निगम के हाथ में थी, लेकिन शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) ने मुख्य मार्ग की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसे निजी कंपनी को सौंपने का फैसला लिया था। इसके तहत निविदा मंगाई गई और एक कंपनी को यह कार्य सौंप दिया गया। कंपनी ने सोमवार से यह जिम्मा संभाल भी लिया है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक निजी कंपनी का का मुख्य मार्ग व फुटपाथ के साथ ही शौचालयों को साफ रखना है।

दिल्ली में पहली बार होगा स्किल कम्पटीशन का आयोजन

नई दिल्ली। 2022 में शंघाई में आयोजित होने वाले वर्लंड स्किल्स कम्पटीशन जिसे ओलंपिक ऑफ स्किल्स के रूप में भी जाना जाता है की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए इस साल देश में स्टेट और नेशनल लेवल पर इंडिया स्किल कम्पटीशन का आयोजन किया जाएगा।

इन प्रतियोगिताओं में 20 से अधिक राज्य भाग लेंगे और विजेता टीम शंघाई में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पहली बार स्टेट लेवल स्किल्स कम्पटीशन का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) इसका आयोजन करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने

कहा कि, आज के दौर में एक ओर जहां 21st सेंचुरी स्किल्स का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल स्किल सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी की भारी मांग है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के हुनरमंद विद्यार्थी शंघाई में होने वाले स्किल ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे युवाओं के स्किल्स को और बेहतर करने के लिए दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) कुछ छात्रों को स्किल्स ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग देगा। उन्होंने कहा कि, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यह पहली बार होगा जब दिल्ली में स्किल कम्पटीशन होगा और दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इसका आयोजन

करेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, इस बाबत दिल्ली में स्टेट लेवल स्किल्स कॉम्पटिशन्स का आयोजन किया जाएगा और फिर चयनित प्रतिभागी नेशनल लेवल स्किल्स कॉम्पटिशन्स में भाग लेंगे जिसके बाद विजेता छात्र शंघाई जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्किल्स ओलंपिक के लिए चुने जाने वाले बच्चों को दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि . दिल्ली सरकार का ध्यान छात्रों को सही कौशल से लैस करने और ऐसा यूथ फोर्स तैयार करना है जो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। साथ ही दूसरों को अपस्किलिंग में मदद करेंगे। दिल्ली स्किल्स

एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाएगी कि दिल्ली और पूरे देश में छात्रों के पास इन स्किल्स को सीखने, आगे बढने के लिए मंच मिल सके। डीएसईयू प्लंबिंग और हीटिंग से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और मेक्ट्रोनिक्स जैसे 33 स्किल्स में युवाओं को तैयार करेगी। अबतक दिल्ली में स्टेंट लेवल कम्पटीशन के लिए 5000 से ज्यादा रजिस्टेशन प्राप्त हए हैं। दिल्ली के युवाओं में इस स्किल कम्पटीशन के प्रति उत्साह को देखते हुए दो स्तरीय चयन प्रक्रिया को अपनाया गया है। पहले स्तर पर उम्मीदवार के बेसिक स्किल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न बेस्ड ऑनलाइन

कैंट एवं मयूर विहार दुष्कर्म मामले में गृह मंत्रालय ने पुलिस को दिया निर्देश, ३० दिन के अंदर दाखिल होगा आरोप पत्र

नर्ड दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली कैंट के नांगल इलाके में छोटी बच्ची से दुष्कर्म मामले में अब गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृहमंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ इस पूरे मामले के साथ मयूर विहार में एक अन्य बच्ची के दुष्कर्म मामले को लेकर समीक्षा की। पुलिस अब केस दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिससे इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो सके। दोनों की मामलो की दिल्ली की पास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में सुनवाई होगी। इधर, दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में दुष्कर्म व हत्या मामले में बच्ची के शव के बचे हुए अवशेष का पुराना नांगलराया स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय बच्ची के माता-पिता व उनके नजदीकी रिश्तेदार मौजूद थे। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी में रखा अवशेष पीडित पक्ष को सौंप दिया गया। जब अवशेष का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब श्मशान भूमि के बाहर करीब 20 लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग श्मशान भूमि परिसर में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन पीडित पक्ष ने इसके लिए उन्हें सहमति



नहीं दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों को वहां से हटने के लिए कहा। अंत्येष्टि के बाद पुलिसकर्मियों ने बच्ची के माता- पिता को उनके घर पहुंचाया। बता दें कि दिल्ली कैंट निवासी नौ साल की बच्ची के साथ कथित सामृहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अब ऋाइम ब्रांच जांच कर रही है।

ऋाइम ब्रांच हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं, फोरेंसिक टीम नमूने एकत्र कर रही है। इसके साथ ही नमूनों को जांच के लिए जल्द ही गुजरात के गांधी नगर स्थित देश की सबसे बेहतर लैब में भेजा जाएगा। क्या है मामले में ताजा अपडेटः बुधवार को ऋाइम ब्रांच ने श्मशान भूमि परिसर की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई। दो दिन पहले बच्ची के माता-पिता के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो बयान में स्वजन ने सामृहिक दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों ने बच्ची के जल्द दाह संस्कार कर देने का दबाव बनाया, जिससे उन्होंने ऐसा किया।

इस मामले में गिरफ्तार श्मशान भूमि के मुख्य पुजारी राधे श्याम सहित सलीम, कुलदीप और लक्ष्मी नारायण की मंगलवार को सफ्दरजंग अस्पताल में मेडिकल करवाकर यह पता करने की कोशिश की गई कि उनके शरीर पर कहीं ताजे चोट के निशान तो नहीं हैं? रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं पाए गए। करंट लगने की भी हो रही जांचः मनोविज्ञानी व फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम चारों से लगातार पूछताछ कर रही है।

ऋाइम ब्रांच की टीम पूरे घटनाऋम को समझने और सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऋाइम ब्रांच आरोपितों से अलग-अलग भी पूछताछ कर रही है। श्मशान गृह परिसर में जिस वाटर कुलर से बच्ची को करंट लगने का दावा किया जा रहा है। ऋाइम ब्रांच उस वाटर कूलर की भी जांच करा रही है, ताकि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई या नहीं इसका पता लगाया जा सके।

दिल्ली में टिल्लू गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी) कराला गांव में बीते महीने गैंगवार के दौरान नितेश नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कंझावला थाना पुलिस ने सुनिल उर्फ टिल्लु ताजपुरिया गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान हरियाणा के सोनीपत के शास्त्री पार्क निवासी अक्षय व पोस्ट आफिस पार्क निवासी सरज उर्फ गोल के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से पिस्टल, दो कारतूस, मोबाइल व बाइक बरामद की गई है।

बदमाशों ने युवक की इसलिए हत्या की थी क्योंकि नितेश के बड़े भाई प्रवेश ने पिछले वर्ष साथियों के साथ मिलकर टिल्ल गैंग के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस फरार तीन आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल के अनुसार, 31 जुलाई को सुबह साढे दस बजे कराला के आनंदपर धाम में गैंगवार के दौरान नितेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

आप पार्टी और व्यापारियों के विरोध से डर कर भाजपा ने टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला वापिस लिया, ये दिल्ली के व्यापारियों की जीत : आतिशी

विकास.ओपन सर्च

नर्ड दिल्ली। आप' विधायक आतिशी ने कहा कि आप पार्टी और व्यापारियों के विरोध से डर कर भाजपा ने टैक्स बढाने का फैसला वापिस लिया, ये दिल्ली के व्यापारियों की जीत है।

आम आदमी पार्टी ने ट्रेड व फ़ैक्टरी लाइसेन्स फीस बढाने के खिलाफ सिंगनेचेर कैम्पेन चलाया था। सिगनेचेर कैम्पेन में 5 लाख से अधिक व्यापारियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि नॉर्थ एमसीडी की तरह साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी भी इस फैसले को वापस ले। आम आदमी पार्टी यह भी मांग करती है कि जो दुकानदार और व्यापारी बढी हुई फीस जमा कर चुके हैं उनको वह पैसा वापस हो। दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को देने का फैसला भी भाजपा ने वापस ले लिया है। दिल्ली की जनता, व्यापारियों, रेहडी पटरी वालों की ओर से आम आदमी पार्टी का विरोध सफल। दिल्लीवालों को इसकी बधाई। अब भाजपा की भ्रष्ट एमसीडी का जो भी गलत फैसला आएगा दिल्ली के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने गरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली की तीनों नगर निगमों ने ट्रेंड और फैक्ट्री लाइसेंस में भारी बढोतरी की थी। जिसमें जो ए और बी श्रेणी के लाइसेंस हैं उन्हें 500 से बढ़ाकर 8625 रुपए कर दिया था। वहीं सी और डी श्रेणी के लाइसेंस को 500 रुपए प्रति मीटर से बढाकर 5750 रुपए प्रति मीटर कर दिया था। मुझे नहीं



लगता है कि इतनी भारी बढोतरी हमने पिछले कई सालों में कभी भी देखा है। उन्होंने कहा, आखिर वह लाइसेंस फीस क्यों बढा रहे हैं? वह लाइसेंस फीस इसलिए बढा रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको जो पैसा मिलता था वह तो भाजपा की एमसीडी ने अपने पार्षदों की जेब में भर दिया है। पार्षद अमीर होते गए लेकिन जो सुविधाएं एमसीडी को देनी होती हैं और हम सब जानते हैं कि एमसीडी ने दिल्ली को कुडादान बनाने का काम किया है।

हम सब जानते हैं कि सभी कॉलोनियों की सड़को की मरम्मत कराना एमसीडी का काम है। लेकिन सभी सडकें ट्टी-फ्टी हालत में हैं। हम सब जानते हैं की एमसीडी की सड़कों पर किस तरह से जलभराव होता है। क्यों होता है? यह इसीलिए होता है क्योंकि जो पैसा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में एमसीडी को मिलता था वह सब तो पार्षदों की जेब में जाता था। आप नेता ने कहा, यह जो लाइसेंस फीस बढ़ी उस पर दिल्ली के अनेकों व्यापारियों, फैक्ट्रियों के मालिक दुकानदार हमारे पास आए और उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों की तरफ से आम आदमी पार्टी ने सिगनेचर कैंपेन की शुरुआत की और परी दिल्ली से 5 लाख लोगों ने इस सिगनेचर कैंपेन में हिस्सा लिया।

और आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जनता की जीत हुई है। दिल्ली के व्यापारियों, दुकानदारों, फैक्टरियों के मालिकों की जीत हुई है। उनके सिगनेचर कैंपेन के आधार पर और आम आदमी पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर बुलंदी से आवाज उठाने के आधार पर कल नॉर्थ एमसीडी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में ट्रेड लाइसेंस फीस और फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढाने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ एमसीडी ने यह फैसला वापस ले लिया है उसी तरह से साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी भी इस फैसले को वापस लें। दूसरी बात जिन

दकानदारों और व्यापारियों ने बढी हुई फीस जमा कर दिया था उनको वह पैसा वापस हो। यह हमारी मांग है। लेकिन हम दिल्ली की जनता और दिल्ली के व्यापारियों को बधाई भी देते हैं। उनके द्वारा आवाज उठाने की वजह से एमसीडी में बैठी भ्रष्ट भाजपा की सरकार को बढ़े टैक्स के फैसले को वापस लेना पडा।

साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपने के भाजपा के फैसले पर आतिशी ने कहा, उसी तरह से एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव एमसीडी लेकर आई थीं कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनको प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। इसका भी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली की गरीब जनता, दिल्ली के रेहडी पटरी वालों और दुकानदारों की ओर से %आप% सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर विरोध किया। क्योंकि अभी तक यह जो साप्ताहिक बाजार लगते आए हैं उनका संचालन लोकल आरडब्ल्युएस और लोकल एसोसिएशंस करते आए हैं। और जो वहां पर ठेला लगाते हैं वह कोई बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं

वह बिल्कुल ही छोटे दुकानदार, ठेले वाले होते हैं जो वहां पर अपनी दुकान लगाते हैं। अगर आप उनका रोजगार छीन लेंगे और इन बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को दे देंगे तो यह दुकान लगाने वाले कहां जाएंगे। इस पर भी आम आदमी पार्टी के विरोध की वजह से भाजपा को यह प्रस्ताव वापस लेना पडा है। उन्होंने कहा, अब दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा। यह दोनों फैसले जो भाजपा को वापस लेने पड़े, यह इस बात का बिगुल बजा रहे हैं कि अब निगम में भाजपा का बहुत ही कम समय बचा है।

एल्पस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. व कॉरपोरेट कार्यालय और शेयर डिपार्ट.: 57/2, साईट ।∨, औद्यैद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश CIN: L51109UP1972PLC003544 वेबसाइटः Website: www.alpsindustries.com ई—मेलः ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120—4161700, 4161716

वीसी/ओएवीएम और ई वोटिंग द्वारा 49वीं वार्षिक आमसभा के आयोजन संबंधी सूचना

एतदृद्वारा यह सूचित किया जाता है कि एल्पस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (CIN:L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की उन्नचासवीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को अप. 3:00 बजे होगी जोकि वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुवल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा जिसमें किसी भी सदस्य की उपस्थिति भौतिक रुप से नहीं होगी, कथित सभा की सूचना में सामान्य व विशेष व्यापार के प्रबंधन को सेट किया जाएगा जो कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 57/2, साईट 4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद—201010 (उ.प्र.) पर होगी। सोशल डिसटेन्सींग का गलन करते हुए कोविड—19 महामारी के प्रकोप के कारण कंपनीज (प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय व नियम 20(4)(v) द्वारा जारी सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, . 2020, 18/2020 दिनांक 21.4.2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15.6.2020 और अन्य सर्कुलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के आधार पर निर्धारित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी के सभी सदस्यों को विद्युतीय माध्यमों से कंपनी में उनके गंजीकत ई-मेल पतों पर या केवल जमा प्रतिभागियों को भेजें जाएंगे और उपरोक्त सर्कुलरों द्वारा नियमों को अपनाते हुए किसी भी प्रकार की भौतिक प्रतियों को नहीं भेजा जाएंगा। इसलिए सदस्य अपने चालू ई मेल आईडीज को अपने डीपी आर एंड टी मैर्सस अलनकीत असाईनमेंटस लि. को अवश्य दें जोकि 18.08.2021 को या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए, जिससे कंपनी निम्न दर्शाए तरीकों के अनुसार अधिक से अधिक कंपनी के सदस्यों को ई मेल भेज सके। कोविड–19 महामारी के कारण अन्य सेबी जिसके लिए देखें सर्कुलर नं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12.05.2020 और अन्य सर्कुलर नं. सेबें| / एचओ / सीएफड़ी / सीएमड़ी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 15 जनवरी, 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति को सूचीब(छूट भेजी गई हैं। कोरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और समान को देखने के लिए सर्कुलर नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार एजीएम के आमंत्रण की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वैबसाईट www.alpsindustreis.com और स्टॉक एक्सचैंजस जैसे बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia. com से अपलोड्ड कर सकते हैं।

कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़े कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के आधार पर, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और अंश हस्तांतरण पुस्तक 15 सितम्बर, 2021 बुधवार से 16 सितम्बर, 2021 गुरुवार (दोनों दिन शामिल होंगे) को बंद रहेंगी।

ई—वोटिंग को शामिल करते हुए वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम से जुड़ने के लिए आवश्यकताओं के लॉग या / एजीएम, वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 की सूचना प्राप्ति हेतु ईमेल पतों की अपटेडिंग के पंजीकरण के संबंध में :-मौतिक रुप से मेजनाः सदस्य कंपनी को निम्नलिखित व्याख्याओं के साथ ajaygupta@alpsindustries.com और nvestorsgrievance@alpsindustries.com और आर एंड टी एजेंट जैसे मैर्सस. अलनकीत असाईनमेंट लि. को rta@ alankit.com पर भेजें

एक हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन्ड प्रति जिसमें आपका नाम, पता, फोलीयो नं., अंशों की संख्या जिसे सदस्यों से प्राप्त की हो अंश प्रमाण पत्र नं., ईमेल पता और मोबाईल नं. के साथ स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्कैनड प्रति। **डीमेट होर्ल्डींगः** सदस्यों को अंशों के डीमेट माध्यम में पंजीकरण/अपने संबंधित जमा प्रतिभागी के साथ अपडेट की

समान प्रक्रिया की पूर्ण व्याख्या सभा की सूचना में उपलब्ध होगी। कंपनी के सदस्य अंशों की होल्डींग भौतिक रुप से या डीमेटेरियलाईज्ड रुप में 23 सितम्बर, 2021 गुरुवार को अपने विद्युतीय मत देने की कट—ऑफ तिथि पर दे सकते हैं।

	कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 के नियम 20 के उप नियम 4 के क्लॉज (अ) के अंतर्गत आवश्यव संबंधित सूचनाएं निम्न अनुसार होगीः			
क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी		
1.	विद्युतीय माध्यमों द्वारा वोटिंग व्यापार के उचित प्रबंध हेतु स्टेटमेंट।	वीसी / ओएवीएम चयन द्वारा एजीएम का आयोजन की सूचना के लिए निर्देशों के अनुसार विद्युतीय माध्यमों से वोटिंग के माध्यमों द्वारा ज्ञापन नं. 1 से 4 के लिए 49वीं एजीएम सूचना में साधारण व विशेष व्यापार।		
2.	रिमोट ई—वोटिंग के प्रारंभ की तिथि व समय	रिमोट ई—वोटिंग का प्रारंभ 27 सितम्बर, 2021 सोमवार को प्रातः 10:00 बजे होगा।		
3.	रिमोट ई—वोटिंग के समापन की तिथि व समय बुधवार को अप. 5:00 बजे होगा।	रिमोट ई—वोटिंग का समापन 29 सितम्बर, 2021		
4.	कट–ऑफ तिथि	वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम का आयोजन विद्युतीय माध्यमों द्वारा मतदान और रिमोट ई—वोटिंग के लिए योग्यता की डिटरमाईनिंग हेतु कट—ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 21गुरुवार होगी।		
5.	एजीएम की सूचना को भेजना	सूचना को 27.8.2021 शुक्रवार तक पूर्ण रुप से भेज दिया जाएगा।		
6.	की प्राप्ति करनी हैं और कंपनी का	जिन व्यक्तियों को अंशों की आवश्यकता हैं और वे कंपनी का सदस्य बनना चाहते हैं सूचना के भेजे जाने के बाद और कट—ऑफ तिथि जैसे 23 सितम्बर, 201 गुरुवार तक अपने अंशों को होल्ड करना होगा और उन्हें वैबसाईट पर उपलब्ध सूचना में दर्शाए निर्देशों का पालन करना होगा, जिनके पैन नं. होल्ड हो और जिन्होंने किसी अन्य कारण से पासवर्ड प्राप्त कर लिया हो helpdesk.evoting@cdslindia.com या ajaygupta@alpsindustries.com या rta@alankit.com पर अपनी प्रार्थना भेजें। यद्यपि, वह व्यक्ति सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हो तो ई—वोटिंग के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकता हैं।		
7.	कथित तिथि व समय के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी	ई—वोटिंग के मॉड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा और किसी को भी इस समय के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।		
8.	वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा पर मौजूद सदस्यों द्वारा मतदान के लिए प्रावधानित कंपनी का मैनर	एजीएम की सूचना में एनैक्चर 1 में दर्शाए रूप में वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम पर मतदान का मैनर		
9.	रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान के अधिकार के पश्चात सदस्य आमसभा में भाग ले सकता हैं परंतु उसे पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।	सदस्य जिन्होंनंने एजीएम से पूर्वूर्व रिमोटेट ई—वोटिंग द्वारा अपन मतदान का उपयोगेग किया हो वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें अपना मतदान दोबारा नहीं डालने दिया जाएगा।		
	रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा होगी जो उस व्यक्ति को दी जाएंगी जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या केवेवल कट—ऑफ तिथि पर जमा—कर्त्ताओं द्वारा अनुरक्षण किए लाभार्थियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा।	वार्षिक आमसभा में मतदान के साथ साथ रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी जो उन सदस्यों के लिए है जिनका नाम सदस्यों के रिजस्टर या कट—ऑफ तिथि जैसे 23 सितम्बर, 2021 गुरुवार को जमाकर्त्ताओं द्वारा अनुरक्षित लाभार्थिर्ययों के रिजस्टर या सदस्यों के रिजस्टर में रिकॉडर्ड हो।		
11.	कंपनी का वैबसाईट पता, यदि कोई हो, और एजेंसी जहां बैठक की सूचना प्रदर्शित की गई हैं	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com		
12.	का नाम, पद, पता, ईमेल आईडी और	श्री अजय गुप्ता, कंपनी सचिव व कॉम्पलीएन्स ऑफीसर पताः पंजी. व कॉर. कार्यालय — 57 / 2, साईट 4, औद्यैद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी.—201010 ई—मेलः ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120—4161716		

सोशल डिसटेन्सींग का पालन करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण कंपनीज (प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय व नियम 20(4)(अ) द्वारा जारी सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 18/2020 दिनांक 21.4.2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15.6.2020 और अन्य सर्कुलुलर नं. 02/2021 दिनांकंक 13 जनवरी, 2021 औरेर कंपंपनीज (प्रबंध व प्रशासन) संशोधित नियम 2015 के नियम 20 (4) (V) के साथ पढ़ा जाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टींग ऑबलीगेशन एंड डिशक्लॉजर रिक्वायरमेंटस) ज्ञापन, 2015 के रेग्यूलेशन 44 के आधार पर, कंपनी द्वारा 49वें एजीएम की सूचना में रेग्यूलेशन पर अपने मतदान को सदस्य वीसी.∕ओएवीएँम द्वारा आयोजित वार्षिक आमसभा के समय पर रिमोट ई—ेवोटिंग या ई—वोटिंग का प्रावधान किया हैं। कंपनी ने इसके लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि. के साथ अनुबंध किया हैं जिससे मैसेर्स. अलनकीत असाईनमेंट लिं. के साथ वीसी/ओवीएएम द्वारा एजीएम के लिए और एजीएम से पूर्व ई–वोटिंग या एजीएम पर विद्युतीय माध्यमों द्वारा उनके मतदान के अधिकारों का सदस्यों को सुविधा दी गई हैं। इस एजीएम के लिए सदस्यों के लिए मतदान करने औरैर प्रॉक्सी को देखने के लिए किसी भी फैकर्ल्टी को उपलब्ध नहीं किया गया हैं। यद्यपि, कोरपोरेट निकाय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित और ई–वोटिंग द्वारा अपने मतदान देने और उसमें प्रतिभागिता के लिए नियुक्त किया हैं।

कंपनी के निदेशकों के बोडे ने वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में रिमोटेट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग में स्पष्ट और पारदर्शिता के लिए संवीक्षक के रुप में कंपनी सचिव राजीव खोसला, कार्यरत कंपनी सचिव (पीसीएस नं. 3927) की नियुक्ति की

एजीएम की सूचना में एनैक्चर। और।। में दर्शाए गए रिमोट ई—वोटिंग और वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में मतदान होगा। सदस्य कंपनी में भौतिक रुप से एजीएम में मतदान के लिए निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कर सकते हैं। यदि आपको एजीएम और सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग में प्रतिभागिता से संबंधित कोई भी पृछताछ या जानकारी प्राप्त करनी हो तो, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल या 022-23058738 और 022-23058542/4 पर संपर्क कर सकते हैं।

विद्युतीय माध्यमों द्वारा मतदान के लिए सभी संबंधित सुविधाओं के लिए श्री राकेश दालवी, मुख्य प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्डस, एन एम जोशी मार्ग, लोवर पारेल (पूर्व), मुंबई - 400013 संपर्क करें या अपने ईमेल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या 022–23058542 ⁄ 43 पर कॉल करें। यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई—वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 1800225533 पर कॉल करें। कठिनाइयों के मामले में सदस्य अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 मे स्थित आरटीए होने के नाते अधोहस्ताक्षरी या अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड से भी संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी rta@alankit.com पर संपर्क कर सकते हैं। ई—मेल / पोस्ट द्वारा।

बोर्ड के ओदशानुसार

कृते एल्पस इन्डस्ट्रीज लि.

हस्ता. 🖊 –

(अजय गुप्ता) कंपनी सचिव व महाप्रबंधक-कानून

ध्थानः गाजियाबाद

दिनांकः 13 अगस्त, 2021